



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

केमाशिबो-शैक्षणिक/सं.निदेशक-ए.एच.ए./परि./2018

दिनांक 22/01/2018

परिपत्र सं. शैक्षणिक 02/2018

के.मा.शि.बो. से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रमुख
(नवो.वि.स. और के.वि.सं. के अतिरिक्त)

विषय: जापानी सरकार (एमईएक्सटी) छात्रवृत्ति -2018 के लिए शिक्षकों के नामांकन -

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने केमाशिबो से संबद्ध के.वि.सं.और नवो.वि.स.के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र स्कूल/सरकारी स्कूलों से जापानी सरकार (एमईएक्सटी) छात्रवृत्ति-2018 के तहत दस छात्रवृत्तियों हेतु नामांकन मांगा है।

2. सभी प्राचार्यों द्वारा अपने विद्यालय के उन शिक्षकों का नामांकन शोध प्रस्ताव के साथ अद्योषित किया जा सकता है, जिन्हें प्राथमिक/ माध्यमिक शिक्षा में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो। शिक्षक के पास एक वैध पासपोर्ट भी होना चाहिए। शेष अपेक्षित योग्यता अनुलग्नक-ए में उल्लिखित योग्यता / पात्रता मानदंडों के अनुसार होगी। उम्मीदवारों का चयन उनके अनुसंधान प्रस्ताव, साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर दिल्ली में किया जाएगा।


3. इच्छुक उम्मीदवार छात्रवृत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए: + 91-011-46104865 पर दूतावास से संपर्क कर सकते हैं अथवा आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए लिंक http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_teacher.html पर जा सकते हैं।

4. अंतिम रूप से चयनित शिक्षकों को जापान में छात्रवृत्ति कार्यक्रम में 18 महीने की अवधि हेतु अपने विद्यालयों से कार्यमुक्ति की आवश्यकता होगी।

5. आवेदन फार्म के साथ शिक्षक का नामांकन, व्यक्तिगत अनुसंधान प्रस्ताव: पीडीएफ संलग्नक के रूप में, शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों, अनुभव का विवरण और सहयोगी दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध कराए गए दस्तावेज जिन्हें विद्यालयों के प्राचार्य द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित (पीडीएफ फाइल के रूप में संलग्नक) कर ईमेल आईडी alhilal.cbse@gmail.com एवं निम्नलिखित पते पर 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

अल हिलाल अहमद, उपसचिव

शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू, संस्थागत क्षेत्र, दिल्ली - 110002


(डॉ. संयम भारद्वाज)
निदेशक (शैक्षणिक)





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

प्रतिलिपि:- संबंधित निदेशालय/संगठनो और संस्थानो के संबंधित प्रमुखों को एवं उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त संबंधित विद्यालयों में जानकारी का प्रसार करने हेतु :-

1. संयुक्त सचिव, एसई (आई), एसई और एल के विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
2. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली -16
3. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, सेक्टर -62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-20130 9
4. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054
5. लोक शिक्षण निदेशक (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017
6. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
7. विद्यालय शिक्षा निदेशक, अरुणाचलप्रदेश सरकार, इटानगर-791111
8. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्टब्लेयर-744101
9. शिक्षा निदेशक, एस.आई.ई. के.मा.शि.बो.सेल, वीआईपीरोड, जंगलीघाट, पी.ओ- 744103, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
10. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ईएसएसप्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3 रोहिणी, दिल्ली
11. अतिरिक्त महानिदेशक सेना शिक्षा, ए-विंग, सेनाभवन, डीएचक्यू पीओ, नईदिल्ली
12. सचिव आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी रक्षा मंत्रालय (आर्मी) एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नं 22, शंकर विहार (निकट एपीएस) दिल्ली कैंट
13. केमाशिबो के सभी क्षेत्रीय निदेशक / क्षेत्रीय अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में, बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को इस परिपत्र को भेज दें ।
14. सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, केमाशिबो
15. आई.टी. प्रभारी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को केमाशिबो की वेबसाइट पर डाल दें ।
16. उपनिदेशक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, केमाशिबो
17. जनसंपर्क अधिकारी, केमाशिबो
18. अध्यक्ष के कार्यकारी अधिकारी, केमाशिबो
19. सचिव के वरिष्ठ निजी सचिव, केमाशिबो
20. परीक्षा नियंत्रक के वरिष्ठ निजी सचिव, केमाशिबो
21. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के वरिष्ठ निजी सचिव, केमाशिबो
22. निदेशक (विशेष परीक्षा एवं सी.टी.ई.टी), केमाशिबो

ह0/-

निदेशक (शैक्षणिक)

